



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27447

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1801 वर्ष 2026

विजय कुमार और 9 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : संजय कुमार राय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता(गण) के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. राय और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. विरोधी पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने एक संयुक्त बयान दिया है कि वे कोई और हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता(गण) का मामला यह है कि उन्होंने वर्ष 2008 में जारी विज्ञापन के अनुसरण में सफाई कर्मचारियों के पद के लिए आवेदन किया था और वे चयनित होने का दावा करते हैं, हालांकि, 01.07.2025 को जिला मजिस्ट्रेट, भदोही ने प्रमुख सचिव पंचायत राज को जिला भदोही में सफाई कर्मचारियों की तैनाती के संबंध में एक पत्र जारी किया था। निदेशक पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने भी 25.08.2025 को क्षेत्रीय उपनिरीक्षक पंचायत राज को जिला भदोही में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के अनुसरण में बैठक के संबंध में पत्र भेजा है। याचिकाकर्ता(गण) का यह भी मामला है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 05.08.2025 को सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 को एक पत्र भेजा है और निदेशक पंचायत राज, लखनऊ ने विभिन्न जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारियों को दिनांक 18.09.2025 का एक आदेश/निर्देश पत्र जारी किया है। याचिकाकर्ता(गण) के अनुसार, दिनांक 18.09.2025 का पत्र स्वयं में अवैध है, विशेष रूप से तब जब भदोही में विभिन्न पद रिक्त पड़े हैं जिनके विरुद्ध याचिकाकर्ता(गण) को कार्यभार ग्रहण कराया जा सकता है लेकिन अब उक्त पदों को अन्य जिलों में समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि वह अपनी प्रार्थना को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष 15.11.2025 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन के निस्तारण तक सीमित रखते हैं।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि मामला जो भी हो, रिट याचिकाकर्ता के पास जिला मजिस्ट्रेट, भदोही के समक्ष जाने का विकल्प हमेशा खुला है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. विरोधी पक्षकारों के तर्कों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित किया जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता तीसरे प्रत्यर्थी के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें, जो दो सप्ताह की अवधि के भीतर इसे प्राप्त होने पर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर सख्ती से कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की कार्यवाही करेंगे। यदि तीसरे प्रत्यर्थी की यह राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उसे प्रेषित कर दिए जाएंगे।

6. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। इस प्रकार, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि यह न्यायालय मामले के गुण-दोष में गया है।

7. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"